[2019] 3 उम. नि. प. 338

ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक

बनाम

गुरूसेवक सिंह और अन्य

तथा

ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक

बनाम

श्रीमती स्वेम कांता

[2019 की सिविल अपील सं. 3150 और 3151]

15 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति (सुश्री) इन्दु मल्होत्रा

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) – धारा 2(ङ) और धारा 4 [सपठित डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 तथा ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और अनुबंध) नियम, 2011 का नियम 3क और नियम 6] – ग्रामीण डाक सेवक – कर्मचारी – चूंकि अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं के रूप में अनुबंधित ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और अनुबंध) नियम, 2011 द्वारा शासित होते हैं, जिनमें उन्हें उपदान का संदाय करने के संबंध में पृथक् उपबंध किए गए हैं इसलिए ग्रामीण डाक सेवक, उपदान संदाय अधिनियम की धारा 2(ङ) के अधीन 'कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) – धारा 74 [सपठित ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और अनुबंध) नियम, 2011 का नियम 3क और नियम 6] – अनुग्रहपूर्ण उपदान – ग्रामीण डाक सेवक द्वारा स्वेच्छया त्यागपत्र दिया जाना – ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और अनुबंध) नियम, 2011 के नियम 6(13) के अनुसार किसी ग्रामीण डाक सेवक को उस दशा में कोई अनुग्रहपूर्ण उपदान संदेय नहीं होगा यदि वह चिकित्सीय आधारों के सिवाय, स्वेच्छया त्यागपत्र देता है ।

प्रस्तुत मामले की दोनों अपीलों में विधि संबंधी एक ही प्रश्न उद्भूत हुआ है इसलिए इन दोनों अपीलों का निपटारा एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है । प्रमुख मामले के रूप में ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक बनाम गुरूसेवक सिंह और अन्य वाले मामले के तथ्यों पर विचार किया जा रहा है । इस मामले में, प्रत्यर्थी सं. 1 को तारीख 26 जून, 1991 को ग्रामीण डाक सेवक, अर्थात्, अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता के रूप में फरीदकोट, पंजाब के डाक विभाग में अंशकालिक आधार पर कार्य करने के लिए अनुबंधित किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 1 ने वर्ष 2014 में उक्त अंशकालिक नौकरी से स्वेच्छया त्यागपत्र दे दिया । विभाग ने तारीख 28 अगस्त, 2014 को उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी सं. 1 को तुरंत प्रभाव से सेवोन्मुक्त कर दिया गया था । प्रत्यर्थी सं. 1 ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन उपदान की ईप्सा करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त, केन्द्रीय जालंधर को समावेदन किया । अपीलार्थी-विभाग ने यह आधार अपनाया कि प्रत्यर्थी सं. 1 ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और अनुबंध) नियम, 2011 के अधीन अनुग्रहपूर्ण उपदान का हकदार नहीं था क्योंकि उसने नौकरी से स्वेच्छया त्यागपत्र दिया था । नियंत्रक प्राधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त, केन्द्रीय जालंधर ने तारीख 21 सितम्बर, 2015 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 के दावे को मंजूर कर लिया और विभाग को तारीख 28 अगस्त, 2014 से 10 प्रतिशत की दर पर वार्षिक ब्याज सहित 1,06,021/- रुपए की रकम संदत्त करने का निदेश दिया । विभाग ने तारीख 21 सितम्बर, 2015 के आदेश के विरुद्ध 1972 के अधिनियम की धारा 7(7) के अधीन उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) केन्द्रीय सदन, चंडीगढ़ के समक्ष अपील फाइल की । अपील प्राधिकारी ने तारीख 17 मई, 2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-विभाग द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और नियंत्रक प्राधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त, केन्द्रीय जालंधर द्वारा पारित तारीख 21 सितम्बर, 2015 के निर्णय को कायम रखा । विभाग ने तारीख 17 मई, 2016 के आदेश के विरुद्ध पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका फाइल की । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उसी उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्ववर्ती निर्णयों का अवलंब लेते

हुए विभाग द्वारा फाइल की गई रिट याचिका को तारीख 23 मई, 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया । विभाग ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 23 मई, 2017 के आदेश को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ न्यायपीठ के समक्ष लैटर्स पेटेंट अपील के रूप में चुनौती दी । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने विभाग द्वारा फाइल की गई लैटर्स पेटेंट अपील इस आधार पर खारिज कर दी कि पूर्ववर्ती निर्णयों के विरुद्ध फाइल की गई विशेष इजाजत याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थीं । परिणामस्वरूप, विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी । विभाग ने उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 1 दिसम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत अपील फाइल की है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रस्तुत मामले में, प्रथम प्रश्न, जिसका अवधारण किया जाना है, यह है कि क्या ग्रामीण डाक सेवक उपदान संदाय अधिनियम 1972 की धारा 2(ङ) के अनुसार 'कर्मचारी' है और वह इस अधिनियम के अधीन उपदान का संदाय किए जाने का हकदार है ? 1972 के अधिनियम की धारा 1(3)(ख) तत्समय प्रवृत्त "किसी विधि" के अर्थान्तर्गत प्रत्येक 'स्थापन' को लागू होती है । डाक विभाग, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2(ट) के अधीन एक स्थापन है । भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898, धारा 1(3)(ख) में 'विधि' पद के अंतर्गत आएगा । परिणामस्वरूप, डाक और तार विभाग, 1972 के अधिनियम के अधीन एक स्थापन होगा । 1972 के अधिनियम की धारा 4(1) में किसी कर्मचारी को उसके नियोजन के पर्यवसान पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए उपदान का संदाय किए जाने का उपबंध किया गया है कि उसने कम से कम 5 वर्ष की निरन्तर सेवा अवश्य कर ली हो । 1972 के अधिनियम की धारा 4 में यह कहा गया है कि "किसी कर्मचारी को उपदान संदेय होगा" । 'कर्मचारी' पद की परिभाषा 1972 के अधिनियम की धारा 2(ङ) में दी गई है । 1972 के अधिनियम की धारा 2(ङ) में ऐसे व्यक्तियों को अपवर्जित किया गया है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई पद धारण करते हैं और किसी ऐसे अन्य अधिनियम या किन्हीं ऐसे नियमों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें उपदान

के संदाय का उपबंध है । ग्रामीण डाक सेवकों को अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं के रूप में, जो कि 2011 के नियमों द्वारा शासित एक पद है, अनुबंधित किया जाता है । ग्रामीण डाक सेवक, 1972 के अधिनियम के अधीन 'कर्मचारी' नहीं है । प्रथम प्रश्न का उत्तर तद्नुसार दिया जाता है । (पैरा 9)

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ग्रामीण डाक सेवक स्वेच्छया पदत्याग करने पर 2011 के नियमों के अधीन उपदान के संदाय के पात्र हैं ? 2011 के नियमों में यह उपबंध है कि ग्रामीण डाक सेवक अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता हैं, जो कि संघ की सिविल सेवा से बाहर हैं और वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान होने का दावा नहीं करेंगे । अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं को डाक और तार विभाग द्वारा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डाक संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुबंधित किया जाता है । इस प्रणाली में स्कूल अध्यापकों, दुकानदारों, मकान-मालिकों और ग्राम में ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ लिया जाता है जिनका साक्षरता स्तर युक्तियुक्त है और जिनके पास आजीविका के पर्याप्त साधन हैं और जो इसलिए ग्रामीण समुदायों को उनकी डाक संबंधी अपेक्षाओं के लिए सेवा प्रदान करने हेतु लाभकर उप-व्यवसाय के तौर पर अंशकालिक आधार पर विभाग की सहायता कर सकते हैं । 2011 के नियमों के नियम 3क(i) में यह उपबंधित है कि ग्रामीण डाक सेवकों से एक दिन में अधिकतम 5 घंटे की अवधि से परे कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । इससे इस सेवा की उप-व्यवसायिक प्रकृति दर्शित होती है । 2011 के नियमों के नियम 6(1) में ग्रामीण डाक सेवकों को उपदान का संदाय करने का उपबंध है । तथापि, नियम 6(13) में यह कहा गया है कि यदि कोई अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता स्वप्रेरणा से अभिकरण को छोड़ता है तो कोई उपदान संदेय नहीं है । प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपना त्यागपत्र वर्ष 2014 में दिया था । अपीलार्थी-विभाग ने उसका त्यागपत्र तारीख 28 अगस्त, 2014 के पत्र द्वारा स्वीकार किया था । प्रत्यर्थी सं. 1, उसके त्यागपत्र के परिणामस्वरूप ग्रामीण डाक सेवकों को लागू 2011 के कानूनी नियमों के अधीन उपदान के संदाय से निर्हकित हो गया है । दूसरे प्रश्न का उत्तर तद्नुसार दिया जाता है । (पैरा 10)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 9 एस. सी. सी. 120 (खंड न्यायपीठ) :
ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक, जालंधर प्रभाग, जालंधर
बनाम **दर्शन राम (विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत)**
और अन्य ; 4

[2006] (2006) 3 एस. सी. सी. 577 :
ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक बनाम **श्रीमती श्याम**
दुलारी और अन्य ; 4

[1997] (1997) 11 एस. सी. सी. 650 :
भारत संघ बनाम **कामेश्वर प्रसाद** ; 9

[1997] (1997) 3 एस. सी. सी. 94 :
डाकघर अधीक्षक बनाम **पी. के. राजम्मा** ; 9

[1980] (1980) 1 एस. सी. सी. 4 :
पंजाब राज्य बनाम **श्रम न्यायालय, जालंधर** । 8, 9

सिविल अपीली अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 3150 और 3151.

2017 की लैटर्स पेटेंट अपील सं. 1612 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ न्यायपीठ के तारीख 1 दिसम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री विक्रमजीत बनर्जी, अपर महासालिसिटर आर. बालासुब्रमण्यम, वी. वी. वी. पट्टाभिराम, पी. वी. योगेश्वरन, नचिकेता जोशी, वैभव चड्ढा, रिशभ जैन और गुरमीत सिंह मक्कड़

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री भारत संगल (न्यायमित्र), सुश्री बबीता कुशवाहा, सुश्री ईशा गुप्ता

और सुश्री अनिंदिता डेका

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (सुश्री) इन्दु मल्होत्रा ने दिया ।

न्या. (सुश्री) मल्होत्रा – दोनों विशेष इजाजत याचिकाओं में इजाजत दी जाती है ।

2. दोनों अपीलों में विधि संबंधी एक ही प्रश्न उद्भूत हुआ है और इनका निपटारा एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है । प्रमुख मामले के रूप में ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक बनाम गुरूसेवक सिंह और अन्य वाले मामले के तथ्यों पर विचार किया जा रहा है ।

3. प्रस्तुत सिविल अपील, 2017 की लैटर्स पेटेंट अपील सं. 1612 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 1 दिसम्बर, 2017 के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

4. इस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि संक्षेप में निम्न प्रकार वर्णित है :–

4.1 प्रत्यर्थी सं. 1 को तारीख 26 जून, 1991 को ग्रामीण डाक सेवक, अर्थात्, अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता के रूप में फरीदकोट, पंजाब के डाक विभाग में अंशकालिक आधार पर कार्य करने के लिए अनुबंधित किया गया था ।

4.2 प्रत्यर्थी सं. 1 ने वर्ष 2014 में उक्त अंशकालिक नौकरी से स्वेच्छया त्यागपत्र दे दिया । विभाग ने तारीख 28 अगस्त, 2014 को उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी सं. 1 को तुरंत प्रभाव से सेवोन्मुक्त कर दिया गया था ।

4.3 प्रत्यर्थी सं. 1 ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् '1972 का अधिनियम' कहा गया है) के अधीन उपदान की ईप्सा करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त, केन्द्रीय जालंधर को समावेदन किया ।

4.4 अपीलार्थी-विभाग ने यह आधार अपनाया कि प्रत्यर्थी सं. 1 ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और अनुबंध) नियम, 2011 के अधीन अनुग्रहपूर्ण उपदान का हकदार नहीं था क्योंकि उसने नौकरी

से स्वेच्छया त्यागपत्र दिया था । नियंत्रक प्राधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त, केन्द्रीय जालंधर ने तारीख 21 सितम्बर, 2015 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 के दावे को मंजूर कर लिया और विभाग को तारीख 28 अगस्त, 2014 से 10 प्रतिशत की दर पर वार्षिक ब्याज सहित 1,06,021/- रुपए की रकम संदत्त करने का निदेश दिया ।

4.5 विभाग ने तारीख 21 सितम्बर, 2015 के आदेश के विरुद्ध 1972 के अधिनियम की धारा 7(7) के अधीन उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) केन्द्रीय सदन, चंडीगढ़ के समक्ष अपील फाइल की ।

अपील प्राधिकारी ने तारीख 17 मई, 2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-विभाग द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी और नियंत्रक प्राधिकारी-सह-सहायक श्रम आयुक्त, केन्द्रीय जालंधर द्वारा पारित तारीख 21 सितम्बर, 2015 के निर्णय को कायम रखा ।

4.6 विभाग ने तारीख 17 मई, 2016 के आदेश के विरुद्ध पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ न्यायपीठ के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन 2017 की सिविल रिट याचिका सं. 11412 फाइल की ।

विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उसी उच्च न्यायालय द्वारा **ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक, जालंधर प्रभाग, जालंधर** बनाम **दर्शन राम (विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत) और अन्य**[1] तथा **ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक** बनाम **श्रीमती श्याम दुलारी और अन्य**[2] वाले मामलों में पारित पूर्ववर्ती निर्णयों का अवलंब लेते हुए विभाग द्वारा फाइल की गई रिट याचिका को तारीख 23 मई, 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया ।

4.7 विभाग ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 23

---

[1] (2014) 9 एस. सी. सी. 120 (खंड न्यायपीठ).

[2] (2006) 3 एस. सी. सी. 577.

मई, 2017 के आदेश को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ न्यायपीठ के समक्ष 2017 की लैटर्स पेटेंट अपील सं. 1612 के रूप में चुनौती दी ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ खंड न्यायपीठ ने विभाग द्वारा फाइल की गई लैटर्स पेटेंट अपील इस आधार पर खारिज कर दी कि पूर्ववर्ती निर्णयों के विरुद्ध फाइल की गई विशेष इजाजत याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी । परिणामस्वरूप, विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी ।

4.8 विभाग ने उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 1 दिसम्बर, 2017 के निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत अपील फाइल की है ।

5. हमने अपीलार्थी-विभाग की ओर से विद्वान् अपर महासालिसिटर, विक्रमजीत बनर्जी की सुनवाई की है । श्री भारत संगल, अधिवक्ता को प्रत्यर्थियों के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो कि उन्हें सूचना की तामील किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए थे, तारीख 10 दिसम्बर, 2018 के आदेश द्वारा न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था ।

हमने दोनों पक्षकारों की ओर से फाइल किए गए अभिवचनों और लिखित निवेदनों का परिशीलन किया है ।

6. जो विवाद्यक विचारार्थ उद्भूत होते हैं, वे निम्नलिखित रूप में हैं :-

6.1 क्या कोई ग्रामीण डाक सेवक, 1972 के अधिनियम की धारा 2(ङ) के अनुसार 'कर्मचारी' है और इस अधिनियम के अधीन उपदान का संदाय किए जाने का हकदार है ?

6.2 क्या कोई ग्रामीण डाक सेवक, स्वेच्छया त्यागपत्र देने पर 2011 के नियमों के अधीन उपदान के संदाय के लिए पात्र है ?

7. विभाग की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर महासालिसिटर ने यह निवेदन किया कि :-

7.1 ग्रामीण डाक सेवक, एक विशिष्ट डाक विभाग गठित करते हैं । ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति नियमित विभागीय कर्मचारी नहीं होते हैं बल्कि "अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता" होते हैं, जो प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए अंशकालिक आधार पर कार्य करते हैं; और उनके पास अपनी आजीविका का एक स्वतंत्र स्रोत होता है । उन्हें 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ।

7.2 ग्रामीण डाक सेवक 2011 के नियमों द्वारा शासित होते हैं, जो कि पूर्ण और पृथक् संहिता गठित करते हैं, जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती, उपदान, आचरण और अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में उपबंध किए गए हैं ।

उनके अनुबंध के निबंधन और शर्तें 2011 के नियमों के नियम 3-क द्वारा शासित होती हैं, जो कि निम्नलिखित रूप में हैं :-

*"**3-क अनुबंध के निबंधन और शर्तें**

(i) किसी सेवक से एक दिन में अधिकतम 5 घंटे की अवधि से परे कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा;

(ii) किसी सेवक को 65 वर्ष की आयु से परे नौकरी में नहीं रखा जाएगा;

(iii) सेवक को यह वचनबंध देना होगा कि उसके पास

---

*अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :-

"3-A. Terms and Conditions of Engagement

(i) A Sevak shall not be required to perform duty beyond a maximum period of 5 hours in a day;

(ii) A Sevak shall not be retained beyond 65 years of age;

(iii) A Sevak shall have to give an undertaking that he has

सरकार द्वारा संदत्त किए गए या किए जाने वाले भत्तों के अतिरिक्त स्वयं और अपने कुटुम्ब की आजीविका के पर्याप्त साधनों के लिए आय के अन्य स्रोत हैं;

(iv) किसी सेवक को लोक हित में एक पद/इकाई से किसी अन्य पद/इकाई में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

(v) सेवक संघ की सिविल सेवा से बाहर होगा;

(vi) कोई सेवक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान होने का दावा नहीं करेगा;

(vii) किसी सेवक के लिए चयन के पश्चात् एक मास के भीतर किन्तु अनुबंध से पूर्व पद ग्राम/डाकघर की परिदान अधिकारिता में निवास करना अनिवार्य होगा;

अनुबंध के पश्चात् जी. डी. एस. बी. पी. एम. के लिए ड्यूटी स्थान पर और ग्रामीण डाक सेवकों के अन्य प्रवर्गों के लिए डाकघर की परिदान अधिकारिता के भीतर निवास करने में असफल रहना अनुबंध की शर्तों का अतिक्रमण माना जाएगा और आचरण नियमों के नियम 10 के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा जिसमें हटाया जाना/पदच्युत किया जाना अपेक्षित है ।

---

other sources of income besides the allowances paid or to be paid by the Government for adequate means of livelihood for himself and his family;

(iv) A Sevak can be transferred from one post/unit to another post/unit in public interest;

(v) A Sevak shall be outside the Civil Service of the Union;

(vi) A Sevak shall not claim to be at par with the Central Government employees;

(vii) Residence in post village/delivery jurisdiction of the Post Office within one month after selection but before engagement shall be mandatory for a Sevak;

Failure to reside in place of duty for G. D. S. B. P. M. & within delivery jurisdiction of the Post Office for other categories of Gramin Dak Sevaks after engagement shall be treated as violative of conditions of engagement and liable for disciplinary action under Rule 10 of the Conduct rules, requiring removal/dismissal;

(viii) डाकघर, ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर द्वारा उपलब्ध कराए गए डाकघर परिसर के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त स्थान-सुविधा में होगा;

(ix) सेवक के कर्तव्यों का संयोजन करना अनुज्ञेय होगा;"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

2011 के नियमों के नियम 3-क(iii) के पठन से यह प्रचुर रूप में स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण डाक सेवकों के पास आजीविका के स्वतंत्र साधन होने चाहिएं । ग्रामीण डाक सेवकों को प्रतिदिन अधिकतम 3 से 5 घंटों के लिए अंशकालिक आधार पर कार्य पर रखा जाता है । नियम 3-क(v) और (vi) में यह अनुबंधित है कि ग्रामीण डाक सेवक संघ की सिविल सेवा से बाहर होगा और वह सरकार के सेवकों के समान होने का दावा नहीं करेगा ।

7.3 अपीलार्थी-विभाग की ओर से इसके अलावा यह निवेदन किया गया था कि ग्रामीण डाक सेवकों का अंशकालिक अनुबंध एक पृथक् स्कीम द्वारा शासित होता है, चूंकि वे नियमित काडर का भाग गठित नहीं करते हैं और उन्हें मुख्य सेवा या सेवा के वर्ग में नहीं माना जा सकता है । उन्हें ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और अनुबंध) नियम, 2011 के अनुसार उपदान संदेय होता है ।

2011 के नियमों के नियम 6(1) में ग्रामीण डाक सेवकों को अनुग्रहपूर्ण उपदान का संदाय करने के लिए उपबंध किया गया है । 2011 के नियमों के नियम 6(13) में यह उपबंधित है कि ग्रामीण डाक सेवक को तब कोई उपदान संदेय नहीं है यदि वह अभिकरण से चिकित्सीय आधारों के सिवाय स्वप्रेरणा से त्यागपत्र देता है ।

2011 के नियमों के नियम 6(1) और (13) निम्नलिखित रूप में हैं :-

---

(viii) Post Office shall be located in the accommodation to be provided by Gramin Dak Sevak Branch Postmaster suitable for use as Post Office premises;

(ix) Combination of duties of a Sevak shall be permissible;"

(emphasis supplied)

*"**(1) अनुग्रहपूर्ण उपदान का संदाय** – भारतीय डाक और तार विभाग में कार्यरत अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं को उनकी सेवाओं के पर्यवसान पर किसी किस्म का पूर्णतः अनुग्रहपूर्ण धनीय अनुदान अनुदत्त करने का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन है । इस संबंध में निम्न प्रकार विनिश्चय किया गया है :–

1. डाक और तार अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता (आचरण और सेवा) नियम, 1964 में यथा-परिभाषित ऐसे अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं को, जिनकी सेवाओं का (i) असंतोषजनक कार्य या (ii) अनुशासनिक कार्रवाई के अध्युपाय के रूप में या (iii) डाक और तार विभाग के अधीन किसी नियमित पद पर उनकी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप से अन्यथा कारणों से पर्यवसान किया जाता है, ऐसा धनीय अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है जिसे 'उपदान' कहा जाता है, बशर्ते उन्होंने अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं के रूप में कम से कम दस वर्ष निरंतर संतोषजनक सेवा पूरी की हो ।"

"(13) ऐसे अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता को कोई उपदान नहीं, जो स्वप्रेरणा से अभिकरण छोड़ता है – ऐसे अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं को, जिन्हें अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण त्यागपत्र देना पड़ता है, अनुग्रहपूर्ण उपदान

---

*अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :–

"(1) **Payment of ex-gratia gratuity** – The question of grant of some kind of purely ex-gratia monetary grant to ED Agents working in the Indian Posts and Telegraphs Department on termination of their services has been under consideration for a long time. It has been decided as follows :–

1. ED Agents as defined in P & T Extra Departmental Agents (Conduct and Service Rules), 1964, whose services are terminated otherwise than (i) for unsatisfactory work or (ii) as a measure of disciplinary action or (iii) in consequence of their being appointed in a regular post under the P & T Department, may be sanctioned monetary grants termed as 'Gratuity', provided that they have put in not less than ten years of continuous satisfactory service as Ed Agents."

"(13) No gratuity to ED Agent who quits the agency on his own – The question of extending the benefit of grant of ex-gratia gratuity to ED Agents who have to resign on account of circumstances beyond their control was taken up with the Ministry

के अनुदान का फायदा प्रदान करने का प्रश्न वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था । यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे मामलों में अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं को कोई अनुग्रहपूर्ण उपदान संदत्त नहीं किया जाएगा । अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपदान केवल तभी संदेय है यदि किसी अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता की सेवाएं विभाग की किसी कार्रवाई के फलस्वरूप समाप्त की जाती हैं किन्तु वे अन्य विहित शर्तें पूरी करते हों तथा उस दशा में कोई उपदान संदेय नहीं है यदि कोई अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता अभिकरण को स्वप्रेरणा से छोडता है । किसी अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता की सेवाओं का तब पर्यवसान नहीं किया जाना चाहिए जब वह स्वयं नौकरी छोडता है । ऐसे मामलों में, अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता को स्वप्रेरणा से सेवा छोडने के लिए अनुज्ञात करने वाला आदेश जारी किया जाना चाहिए जिससे कि उस आदेश का अर्थान्वयन सेवा का पर्यवसान करने वाले आदेश के रूप में न किया जाए ।" (जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

8. श्री भारत संगल, विद्वान् न्यायमित्र ने इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों के हित का प्रतिनिधित्व किया । विद्वान् काउन्सेल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया कि :-

8.1 उपदान संदाय अधिनियम, 1972 ऐसे प्रत्येक स्थान को लागू होता है जिसे किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थान्तर्गत 'स्थापन' के रूप में परिभाषित किया गया है ।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की प्रयोज्यता का अवधारण करने के लिए यह अवश्य देखा जाना चाहिए कि वह स्थान राज्य

---

of Finance. It has been decided that no ex-gratia gratuity will be paid to ED Agents in such cases. It is, therefore, clarified that according to the present orders, gratuity is payable only if the services of an ED Agent are terminated in consequence of an action of the department, subject to their fulfillment of the other prescribed conditions and that no gratuity is payable if an ED Agent quits the agency on his own. The services of an ED Agent should not be terminated when he himself quits the job. In such cases, an order permitting the ED Agent to quit the services on his own should be issued so that the order may not be construed as an order of termination of service." (emphasis supplied)

को लागू विधि के अधीन एक स्थापन के रूप में परिभाषित है अथवा नहीं । पंजाब राज्य **बनाम** श्रम न्यायालय, जालंधर (1980) 1 एस. सी. सी. 4 वाले निर्णय का अवलंब लिया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 2(ii)(छ) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला कोई स्थापन उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आएगा ।

यह दलील दी गई थी कि डाक विभाग, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 2(ii)(छ) में प्रयुक्त पद के अर्थान्तर्गत एक स्थापन है और उसके कर्मचारियों को 1972 का अधिनियम लागू होगा ।

8.2 1972 के अधिनियम की धारा 1(3) में प्रत्येक कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कंपनी, दुकान या स्थापन के कर्मचारियों को उपदान का संदाय करने का उपबंध है ।

1972 के अधिनियम की धारा 1(3) निम्नलिखित रूप में है :–

"1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारंभ –

(3) यह अधिनियम –

(क) प्रत्येक कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कंपनी को ;

(ख) <u>किसी राज्य में दुकानों और स्थापनों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ में, प्रत्येक ऐसी दुकान अथवा स्थापन को, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे</u> ;

(ग) ऐसे अन्य स्थापनों अथवा स्थापनों के वर्ग को जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हैं अथवा नियोजित थे, लागू होगा ।

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

8.3 इसके अलावा यह निवेदन किया गया था कि 1972 के

अधिनियम की धारा 14 में विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि यह अधिनियम "किसी अन्य अधिनियमिति में किसी असंगत बात के होते हुए भी" लागू होगा ।

1972 के अधिनियम की धारा 14 निम्नलिखित रूप में है :-

> **"14. अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों आदि पर अध्यारोही होना** - इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत अथवा संविदा में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।"

8.4 1972 के अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में यह उपबंध किया गया है कि किसी कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर भी उसे उपदान संदेय होगा । इस प्रकार, ऐसा कोई नियम जो ऐसे कर्मचारी को, जो त्यागपत्र देता है, उपदान का संदाय किए जाने से वर्जित करता है, 1972 के अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के साथ पठित धारा 14 के प्रतिकूल होगा ।

8.5 इसके अलावा, यह दलील दी गई थी कि डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और नियोजन) नियम, 2001 का अधिक्रमण किया गया था और उन्हें डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और अनुबंध) नियम, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था ।

2011 के संशोधित नियमों के अधीन नियोजन/नियुक्ति पद को "अनुबंध" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । संशोधित नियम 6 ग्रामीण डाक सेवकों को अनुग्रहपूर्ण उपदान का संदाय करने से संबंधित है ।

9. प्रथम प्रश्न, जिसका अवधारण किया जाना है, यह है कि क्या ग्रामीण डाक सेवक 1972 के अधिनियम की धारा 2(ङ) के अनुसार 'कर्मचारी' है और वह इस अधिनियम के अधीन उपदान का संदाय किए जाने का हकदार है ?

9.1 1972 के अधिनियम की धारा 1(3)(ख) तत्समय प्रवृत्त "किसी विधि" के अर्थान्तर्गत प्रत्येक 'स्थापन' को लागू होती है ।

इस न्यायालय ने पंजाब राज्य **बनाम** श्रम न्यायालय, जालंधर (उपर्युक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि 1972 के अधिनियम की धारा 1(3)(ख) में 'विधि' अभिव्यक्ति के अर्थान्वयन को सीमित करने का कोई कारण नहीं है ।

डाक विभाग, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2(ट) के अधीन एक स्थापन है, जो कि निम्नलिखित रूप में है :-

"2. परिभाषाएं –

(ट) डाक विभाग पद से वह विभाग अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए स्थापित है और जिसका अध्यक्ष महानिदेशक है ।"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898, धारा 1(3)(ख) में 'विधि' पद के अंतर्गत आएगा । परिणामस्वरूप, डाक और तार विभाग, 1972 के अधिनियम के अधीन एक स्थापन होगा ।

9.2 1972 के अधिनियम की धारा 4(1) में किसी कर्मचारी को उसके नियोजन के पर्यवसान पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए उपदान का संदाय किए जाने का उपबंध किया गया है कि उसने कम से कम 5 वर्ष की निरन्तर सेवा अवश्य कर ली हो ।

1972 के अधिनियम की धारा 4(1) निम्नलिखित रूप में है :-

"4. उपदान का संदाय –

(1) कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा कर लेने के पश्चात् कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान पर उसको, –

(क) उसकी अधिवर्षिता पर, अथवा

(ख) उसकी निवृत्ति या पदत्याग पर, अथवा

(ग) किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निःशक्तता पर,

उपदान संदेय होगा :

परन्तु पांच वर्ष की निरन्तर सेवा का पूरा होना उस दशा में आवश्यक न होगा जहां किसी कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान का कारण उसकी मृत्यु या निःशक्तता है :

परन्तु यह और कि किसी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसे संदेय उपदान उसके नामनिर्देशिती को या यदि कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है तो उसके वारिसों को दिया जाएगा और जहां कोई ऐसा नामनिर्देशिती या वारिस अवयस्क है वहां ऐसे अवयस्क का अंश नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा कर दिया जाएगा जो उसे ऐसे अवयस्क के फायदे के लिए किसी ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में, जो विहित की जाए, उस अवयस्क के वयस्कता प्राप्त करने तक विनिहित करेगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निःशक्तता से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी को उस कार्य के लिए असमर्थ बना देती है जिसे वह उस दुर्घटना या रोग के पूर्व, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई है, करने के लिए समर्थ था ।"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

9.3 1972 के अधिनियम की धारा 4 में यह कहा गया है कि "किसी कर्मचारी को उपदान संदेय होगा" ।

'कर्मचारी' पद की परिभाषा 1972 के अधिनियम की धारा 2(ङ) में इस प्रकार दी गई है :–

"2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(ङ) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति (शिक्षु से भिन्न) अभिप्रेत है, जो किसी कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान,

पत्तन, रेल कंपनी, दुकान या अन्य स्थापन के, जिनको यह अधिनियम लागू होता है, कार्य में या कार्य के संबंध में शारीरिक या अन्यथा किसी प्रकार के कार्य में मजदूरी पर नियोजित है, चाहे ऐसे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हैं या विवक्षित हैं किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है और किसी ऐसे अन्य अधिनियम या किन्हीं ऐसे नियमों द्वारा शासित होता है, जिसमें उपदान के संदाय का उपबंध है ।" (जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

तथापि, 1972 के अधिनियम की धारा 2(ङ) में ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित किया गया है, जो किसी ऐसे अधिनियम या किन्हीं ऐसे नियमों द्वारा शासित होते हैं जिनमें उपदान के संदाय का उपबंध है ।

9.4 1972 के अधिनियम की धारा 2(ङ) में ऐसे व्यक्तियों को अपवर्जित किया गया है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई पद धारण करते हैं और किसी ऐसे अन्य अधिनियम या किन्हीं ऐसे नियमों द्वारा शासित होते हैं, जिनमें उपदान के संदाय का उपबंध है ।

ग्रामीण डाक सेवकों को अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं के रूप में, जो कि 2011 के नियमों द्वारा शासित एक पद है, अनुबंधित किया जाता है । **डाकघर अधीक्षक** बनाम **पी. के. राजम्मा**[1] और **भारत संघ** बनाम **कामेश्वर प्रसाद**[2] वाले मामले देखिए ।

ग्रामीण डाक सेवक, 1972 के अधिनियम के अधीन 'कर्मचारी' नहीं है । प्रथम प्रश्न का उत्तर तद्नुसार दिया जाता है ।

10. दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ग्रामीण डाक सेवक स्वेच्छया पदत्याग करने पर 2011 के नियमों के अधीन उपदान के संदाय के पात्र हैं ?

---

[1] (1997) 3 एस. सी. सी. 94.

[2] (1997) 11 एस. सी. सी. 650.

10.1 2011 के नियमों में यह उपबंध है कि ग्रामीण डाक सेवक अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता हैं, जो कि संघ की सिविल सेवा से बाहर हैं और वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान होने का दावा नहीं करेंगे । अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं को डाक और तार विभाग द्वारा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डाक संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुबंधित किया जाता है । इस प्रणाली में स्कूल अध्यापकों, दुकानदारों, मकान-मालिकों और ग्राम में ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ लिया जाता है जिनका साक्षरता स्तर युक्तियुक्त है और जिनके पास आजीविका के पर्याप्त साधन हैं और जो इसलिए ग्रामीण समुदायों को उनकी डाक संबंधी अपेक्षाओं के लिए सेवा प्रदान करने हेतु लाभकर उप-व्यवसाय के तौर पर अंशकालिक आधार पर विभाग की सहायता कर सकते हैं ।

2011 के नियमों के नियम 3क(i) में यह उपबंधित है कि ग्रामीण डाक सेवकों से एक दिन में अधिकतम 5 घंटे की अवधि से परे कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । इससे इस सेवा की उप-व्यवसायिक प्रकृति दर्शित होती है ।

2011 के नियमों के नियम 6(1) में ग्रामीण डाक सेवकों को उपदान का संदाय करने का उपबंध है । तथापि, नियम 6(13) में यह कहा गया है कि यदि कोई अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता स्वप्रेरणा से अभिकरण को छोड़ता है तो कोई उपदान संदेय नहीं है ।

10.2 प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपना त्यागपत्र वर्ष 2014 में दिया था । अपीलार्थी-विभाग ने उसका त्यागपत्र तारीख 28 अगस्त, 2014 के पत्र द्वारा स्वीकार किया था । प्रत्यर्थी सं. 1 के त्यागपत्र को स्वीकार करने वाला तारीख 28 अगस्त, 2014 का आदेश निम्नलिखित रूप में है :–

"श्री गुरूसेवक सिंह द्वारा बारीवाला एस.ओ. के लेखे में जी.डी.एस.बी.पी.एम. आसा बटर के पद से दिया गया तारीख शून्य

वाला अशर्त त्यागपत्र तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया जाता है ।

प्रायिक प्रभार रिपोर्टें सभी संबद्ध व्यक्तियों को भेजी जानी चाहिए ।

हस्ता./-
डाकघर अधीक्षक
फरीदकोट प्रभाग
फरीदकोट-151203"
(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

यह आदेश नियम 6(13) के अधीन प्रत्यर्थी सं. 1 को उसके स्वेच्छया त्यागपत्र के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक की सेवाएं छोड़ने के लिए अनुज्ञात करते हुए पारित किया गया था ।

प्रत्यर्थी सं. 1, उसके त्यागपत्र के परिणामस्वरूप ग्रामीण डाक सेवकों को लागू 2011 के कानूनी नियमों के अधीन उपदान के संदाय से निर्हकित हो गया है । दूसरे प्रश्न का उत्तर तद्नुसार दिया जाता है ।

11. उच्च न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों में पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं ।

हम श्री भारत संगल, विद्वान् न्यायमित्र द्वारा प्रत्यर्थियों के हित का प्रतिनिधित्व करने में प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करते हैं ।

इन दोनों अपीलों में लंबित आवेदन, यदि कोई हैं, खारिज किए जाते हैं ।

तद्नुसार, अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ग्रो.